न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/4248/2005/चित्तौडगढ

ख्याली दास पुत्र उंकारदास जाति बैरागी निवासी मानपुरा हाल भाईखेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

1. बंशीदास पुत्र भगवान दास बैरागी निवासीगण मानपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ

रेस्पोडेन्ट्

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री मदन लाल गूर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोकनाथ अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी प्रतिवादी के विरूद्ध ग्राम मानपुरा तहसील व जिला चित्तोडगढ में स्थित वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी

को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल नौ तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 30–6–04 के द्वारा उक्त वाद को डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी बंशीदास ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–5–2005 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयव डिक्री को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी संख्या 1 का निर्णय करते हुये विचारण न्यायलय के निर्णय को सही माना व अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार स्वीकार किया है व तनकी संख्या एक का निर्णय अपीलार्थी वादी के पक्ष में किया गया। तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका प्रदर्श–2 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने पर वादी की विवादग्रस्त आराजी के उत्तरी हिस्से पर प्रत्यर्थी का कब्जा पाया गया जबकि प्रत्यर्थी का अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी पर कोई स्वत्वाधिकार नहीं था। इस प्रकार प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी होने से उसे बेदखल कर अपीलार्थी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने जिस प्रकार तनकी कायम की गई उस प्रकार निर्णय पारित नहीं किया। इस तनकी का निर्णय करते समय

उन्होंने यह माना कि धारा 183 के वाद में वादी को यह सिद्ध कराना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने कब व कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। अपीलार्थी ने अपने वाद में पत्थरगढी की मिसल संख्या 49/98 के आधार पर उसकी खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बताया है तथा अतिक्रमण किये जाने की दिनांक 15–11–97बताई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी वादी अपने वाद को साक्ष्य से सिद्ध कर चुका था। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 से 8 का निर्णय सही माना है, उसके बाबजूद भी विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में विधिक भूल की है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी की खातेदारी की नहीं है बल्कि यह प्रत्यर्थी के पिता भगवानदास क्रय की हुई है और उनके खातेदारी की है। वादी ने भू प्रबन्ध कर्मचारियेां से मिलकर अपने नाम गलत दर्ज करा ली जिसका घोषणात्मक वाद पेश करने पर प्रत्यर्थी को उसकी खातेदारी मिल चुकी है। इसलिये अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र प्रतिवाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में मुख्य रूप से निर्णायक बिन्दु यह था कि क्या दिनांक 15–11–97को प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 550 रकबा

0–40 हेक्टर के उत्तरी हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया,जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है ? इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार अपीलार्थी वादी पर था। अपीलार्थी वादी ने अपने वाद पत्र के चरण संख्या 3 में यह अंकित किया है कि–''यह कि प्रतिवादी ने दिनांक 15नवम्बर 1997 को वादी की आराजी नम्बर 550 के उत्तरी हिस्से पर प्रतिवादी ने बलपूर्वक वादी की इच्छा के खिलाफ कानून के विरूद्ध कब्जा कर लिया। इस पर वादी ने पत्थरगढी की दरख्वास्त पेश की और मौके पर पत्थरगढी कराई, इस पर जो मिसल कायम हुई, उसकी मिसल नम्बर 49/98 दर्ज हुआ और धारा 128लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही होकर दिनांक 29–6–98 को मौके पर पत्थरगढी की गई।'' वाद पात्र के चरण संख्या 3 में कितने भू भाग पर कब्जा किया, यह अंकित नहीं किया है। इसके बाद उसने पत्थरगढी कराई जिसमें 390वर्गमीटर भू भाग पर बंशीदास का अतिक्रमण बताया। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त पत्थरगढी प्रत्यर्थी बंशीदास की उपस्थिति में नहीं हुई है। इस पत्थरगढी के पर्चे में यह भी अंकित नहीं है कि मौका देखने से पहले सम्बन्धित पक्षकारों को सूचित किया गया अथवा नहीं। मौके पर कौन कौन उपस्थित था यह भी उल्लेख नहीं है। बयानों प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरी 2–3 विस्वा पर प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया है जिसमें मैं सब्जी बोता हूॅ। इसलिये मुझे नुक्सान हो रहा है लेकिन उसने दिनांक 15–11–97 को 390 वर्गमीटर पर कब्जा करना नहीं बताया है। विधि अनुसार अधिनियम की धारा 183 के वाद में वादी को यह सिद्ध कराना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने कब व कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया। विचारण न्यायालय मात्र पर्चा मौका के आधार पर वाद बिन्दु संख्या 2 पर निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय ने कोई विधिक

त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अपील खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य